



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092026-276587
CG-DL-E-29092026-276587

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5017]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 22, 2026/भाद्र 31, 1948

No. 5017]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 22, 2026/BHADRA 31, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2026

का.आ. 5224(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उत्तर प्रदेश राज्य के पीलीभीत जिले में NH30 के कि.मी. 27.75 से कि.मी. 58.4 (क्लेक्ट्रेट परिसर, पीलीभीत) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् नगर मजिस्ट्रेट, पीलीभीत को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के पीलीभीत जिले में NH30 के कि.मी. 27.75 से कि.मी. 58.4 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश			जिले का नाम: पीलीभीत		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: पीलीभीत					
गांव का नाम: हन्डा					
1	51	निजी	कृषि	0.0292 (हेक्टेयर)	0.0292
तालुक का नाम: अमरिया					
गांव का नाम: बरात बोज					
2	429	निजी	कृषि	0.0238 (हेक्टेयर)	0.0238
3	462	निजी	कृषि	0.0129 (हेक्टेयर)	0.0129
गांव का नाम: धुंधरी					
4	498	निजी	कृषि	0.0169 (हेक्टेयर)	0.0169
5	499	निजी	कृषि / गैर कृषि	0.0614 (हेक्टेयर)	0.0614
गांव का नाम: लाहौर गंज					
6	11	निजी	कृषि	0.09 (हेक्टेयर)	0.09
गांव का नाम: भैंसहा					
7	169	निजी	कृषि	0.2388 (हेक्टेयर)	0.2388
8	194	निजी	कृषि	0.1328 (हेक्टेयर)	0.1328
9	196	निजी	कृषि	0.014 (हेक्टेयर)	0.014
गांव का नाम: हेतमडाँडी					
10	6	निजी	कृषि / गैर कृषि	0.0745 (हेक्टेयर)	0.0745
गांव का नाम: मुडलिया गौसू					

11	100	निजी	कृषि	0.0179 (हेक्टेयर)	0.0179
गांव का नाम: सरदार नगर					
12	280	निजी	कृषि	0.317 (हेक्टेयर)	0.317
Total					1.0292

[फा. सं. 18001/1/2018/PIU-Brly/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 2026

S.O. 5224(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH30 in the stretch of land from Km. 27.75 to Km. 58.4 (Collectorate Campus, Pilibhit) in the district of PILIBHIT in the state of UTTAR PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, City Magistrate, Pilibhit in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH30 in the stretch of land from Km. 27.75 to Km. 58.4 (Collectorate Campus, Pilibhit) in the district of PILIBHIT in the state of UTTAR PRADESH

State: UTTAR PRADESH			District: PILIBHIT		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Pilibhit					
Village: Handa					
1	51	Private	Agriculture	0.0292 (Hectare)	0.0292
Taluk: Amariya					
Village: Barat Bojh					
2	429	Private	Agriculture	0.0238 (Hectare)	0.0238

3	462	Private	Agriculture	0.0129 (Hectare)	0.0129
Village: Dhundhari					
4	498	Private	Agriculture	0.0169 (Hectare)	0.0169
5	499	Private	Agriculture /Non Agriculture	0.0614 (Hectare)	0.0614
Village: Lahaur Ganj					
6	11	Private	Agriculture	0.09 (Hectare)	0.09
Village: Bhaisaha					
7	169	Private	Agriculture	0.2388 (Hectare)	0.2388
8	194	Private	Agriculture	0.1328 (Hectare)	0.1328
9	196	Private	Agriculture	0.014 (Hectare)	0.014
Village: Hetam Dandi					
10	6	Private	Agriculture /Non Agriculture	0.0745 (Hectare)	0.0745
Village: Mundalia Gousu					
11	100	Private	Agriculture	0.0179 (Hectare)	0.0179
Village: Sardar Nagar					
12	280	Private	Agriculture	0.317 (Hectare)	0.317
Total					1.0292

[F. No. 18001/1/2018/PIU-Brly/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director